राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6854/2024

नरेंद्र कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी ढिंगसरी लाडेरा, सरदुल क्लब रोड, बीकानेर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पृष्ठ के माध्यम से

2. महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू सिंह, निवासी सरकारी प्रेस रोड, हनुमान हत्था बीकानेर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री डी.के. गौर।
प्रतिवादी(यों) के लिए : श्री एच.एस. जोधा, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

07/10/2024

1. याचिकाकर्ता दिवंगत सह-आरोपी/राजेंद्र सिंह की विधवा है और आपराधिक प्रकरण सं.1511/2018 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 11.06.2018 के आदेश को चुनौती दे रही है, जिसके तहत शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका स्वीकार कर ली गई थी। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध का संज्ञान विरोध याचिका दायर करने के छह वर्ष बाद लिया गया, यद्यपि प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। दिनांक 09.07.2024 के आदेश के अनुसार, जिसका यहां भी उल्लेख किया गया है, ट्रायल कोर्ट ने जमानती वारंट तामील किए बिना ही उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया।

(27/05/2025 को 02:18:28 PM पर डाउनलोड किया गया)

2. प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता का याचिकाकर्ता एवं उसके दिवंगत पति श्री राजेन्द्र सिंह/आरोपी संख्या 1 के विरुद्ध मामला यह है कि दिनांक 07.08.1980 को उसके दिवंगत पिता नाथू सिंह ने अपने जीवनकाल में याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को अपनी भूमि के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया था। यह पावर ऑफ अटॉर्नी उप-पंजीयक, बीकानेर के कार्यालय में पंजीकृत थी। नाथू सिंह का 10.09.2006 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात याचिकाकर्ता के पति ने 04.03.2008 को धोखाधड़ी से याचिकाकर्ता नरेन्द्र कंवर के पक्ष में भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित किया। वर्ष 2012 में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज की गई, जिसके कारण एफ.आई.आर. दर्ज की गई। याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए 03.11.2012 को क्रमांक 367/2012 दर्ज किया गया। प्रासंगिक रूप से याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 30.04.2012 को हुई थी, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया है, यानी एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले।

3. गहन जांच के बाद, पुलिस को कोई आपराधिक मामला नहीं मिला और उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम (नकारात्मक) रिपोर्ट पेश की।

4. हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने विरोध याचिका दायर की। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 11.06.2018 को विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया और आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

5. जमानती वारंट जारी किया गया, जिस पर मामले की सुनवाई 20.08.2018 के लिए निर्धारित की गई। हालांकि, याचिकाकर्ता पर जमानती वारंट की तामील नहीं हो सकी और मामला 20.08.2018 से 09.07.2024 तक लंबित रहा। दिनांक 09.07.2024 को पारित आदेश के तहत, जमानती वारंट की

(27/05/2025 को 02:18:28 PM पर डाउनलोड किया गया)

तामील किए बिना, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और अब अगली सुनवाई 12.01.2025 के लिए निर्धारित की है।

6. इसलिए, यह याचिका।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील को सुना है और मामले की फाइल देखी है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी नहीं है और उसे गलत इरादे से फंसाया गया है। उनका दावा है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेते समय कानून या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना नहीं की। इसके अलावा, अदालत ने जमानती वारंट की तामील किए बिना ही विधवा याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।

8.1. पुलिस जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि शिकायतकर्ता के पिता ने 09.04.1980 को यानी दशकों पहले कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेच दिया था और याचिकाकर्ता और उसके दिवंगत पति तब से लगातार उस पर कब्जा किए हुए हैं।

8.2. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि लेनदेन के 32 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई। किसी भी मामले में लेनदेन याचिकाकर्ता के मृतक पति द्वारा किया गया था। सभी आरोप उसके खिलाफ हैं और इस आधार पर, यदि अपराध उसके दिवंगत पति द्वारा किया गया है, तो याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि के बाद शिकायतकर्ता ने गुप्त उद्देश्य से अभियोजन शुरू किया है। यह कार्रवाई वास्तविक शिकायत के बजाय लालच से प्रेरित है। उन्होंने आग्रह किया कि उसी संपत्ति को लेकर दीवानी मुकदमा

(27/05/2025 को 02:18:28 PM पर डाउनलोड किया गया)

भी लंबित है, जो दर्शाता है कि आपराधिक अभियोजन कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है।

9. विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है और कानून अपना काम करेगा।

10. विद्वान लोक अभियोजक से पूछे गए न्यायालय के प्रश्न पर, उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि एफआईआर वास्तव में कथित भूमि लेनदेन के 32 वर्ष बाद दर्ज की गई थी और लेनदेन याचिकाकर्ता के मृतक पति द्वारा किया गया था और सभी आरोप भी उसके खिलाफ लगाए गए हैं। आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में इतनी बड़ी देरी के लिए कोई उचित औचित्य, प्रशंसनीय या अन्यथा, सामने नहीं आया है।

11. केवल उस संक्षिप्त आधार पर, मैं इस विचार का हूँ कि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका में कोई योग्यता नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा दायर 12.12.2012 की नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य है और परिणामस्वरूप इसे रद्द किया जाना चाहिए। अत: विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, बीकानेर द्वारा आपराधिक प्रकरण सं.1511/2018 में पारित दिनांक 11.06.2018 एवं 09.07.2024 के आदेश भी संधारणीय नहीं हैं।

12. इस प्रकार याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, बीकानेर द्वारा आपराधिक प्रकरण सं.1511/2018 में पारित दिनांक 11.06.2018 एवं 09.07.2024 के आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं, तथा इसके परिणाम आगामी होंगे। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के अंतर्गत पुलिस थाना सदर बीकानेर, जिला

(27/05/2025 को 02:18:28 PM पर डाउनलोड किया गया)

बीकानेर में दर्ज एफ.आई.आर. सं.367/2012 दिनांक 03.11.2012 को निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता के पति राजेंद्र सिंह के मामले में, यदि कोई आपराधिक कार्यवाही अपराध है, तो वह उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो चुका है।

13. पक्षकारों को अपने प्रतिद्वंद्वी दावों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके कानून के अनुसार लंबित सिविल न्यायालय की कार्यवाही में अपना स्वामित्व स्थापित करने की स्वतंत्रता है।

14. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा हो जाता है।

(अरुण मोंगा**),** जे

58-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(27/05/2025 को 02:18:28 PM पर डाउनलोड किया गया)